



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1820/2026

राम शंकरयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सतेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 5- उप जिलाधिकारी, संभल द्वारा वाद संख्या 9591/2025 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के तहत प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की है।
2. जब इस न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि याचिकाकर्ता उक्त आदेश से कैसे व्यथित है, तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ग्राम सभा का सदस्य है और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सामाजिक कार्य कर रहा है। शपथ पत्र में की गई घोषणा के अनुसार याचिकाकर्ता की आयु केवल 21 वर्ष है। पूरी रिट याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आज तक किस तरह का सामाजिक कार्य किया गया है। अन्यथा भी, पूरी रिट याचिका के अवलोकन और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय की यह राय है कि याचिकाकर्ता "व्यथित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
3. व्यथित पक्ष के पक्ष में अधिकार का अस्तित्व रिट याचिका बनाए रखने के लिए लोकस स्टैंडी प्रदान करता है, जैसा कि विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2001) 4 एस सीसी 734] में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

"2. सामान्य तौर पर, किसी व्यक्ति के पास रिट याचिका दायर करने का कोई लोकस स्टैंडी नहीं होगा यदि वह आक्षेपित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष या ठोस रूप से आक्रमण हुआ है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमों की अनदेखी करते हुए उसके अर्जित हितों का उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवाद केवल उन मामलों में है जहाँ आवेदन की गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार पृच्छा की रिट है या जनहित में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दायर की गई है। यह विवेक का मामला है कि न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उन मामलों तक सीमित रखे जहाँ किसी विशेष व्यक्ति को कानूनी क्षति या कानूनी चोट पहुँची हो या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, न कि तीसरे पक्ष के कहने पर व्यक्तिगत क्षति या चोट के मामलों पर विचार करे..."

4. इसी प्रकार अयाउबखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [(2013) 4 एस सीसी 465] में, उच्चतम न्यायालय ने जोर दिया कि व्यथित पक्षों के प्रवर्तनीय अधिकारों का अस्तित्व इस न्यायालय में निहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पूर्व-शर्त है:

"9. यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी अजनबी व्यक्ति को किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह प्राधिकारी/न्यायालय को यह संतुष्ट न कर दे कि वह व्यथित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। केवल वही व्यक्ति जिसने विधिक क्षति सही है, या सह रहा है, विधि के न्यायालय में कागज़ कार्रवाई/आदेश आदि को चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका या तो वैधानिक या विधिक अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से, या जब अपीलकर्ता द्वारा यह शिकायत की जाती है कि प्राधिकारियों की ओर से वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, तब पोषणीय होती है। इसलिए, प्रवर्तन के लिए न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर रिट अधिकारिता का सहारा लिया जाता है। न्यायालय, निश्चित रूप से, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक कर्तव्य के पालन को लागू कर सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसके पास ऐसे पालन पर जोर देने का विधिक अधिकार है। न्यायालयों की रिट अधिकारिता का आह्वान करने के लिए ऐसे अधिकार का अस्तित्व एक पूर्व शर्त है। ऐसी असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में यह अंतर्निहित है कि मांगी गई राहत विधिक अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसे अधिकार का अस्तित्व ही न्यायालय द्वारा उक्त अधिकारिता के प्रयोग का आधार है। जिस विधिक अधिकार को लागू किया जा सकता है, वह सामान्यतः स्वयं अपीलकर्ता का अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी के संबंध में राहत के लिए न्यायालय का रुख करता है। [देखें उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा [एआईआर 1952 एससी 12], सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1954 एससी 728], कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटी) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एआईआर 1962 एससी 1044], राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 5 एससीसी 460 : एआईआर 1996 एससी 2736] और तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन (2) बनाम एस.सी. सेकर [(2009) 2 एससीसी 784]]।

10. एक "विधिक अधिकार" का अर्थ है विधिक नियमों से उत्पन्न होने वाला एक हक। इस प्रकार, इसे विधि के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए लाभ या सुविधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। "व्यथित व्यक्ति" शब्द में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक क्षति से ग्रस्त है; इसलिए, एक व्यथित व्यक्ति अनिवार्य रूप से वह होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो या खतरे में पड़ गया हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(देखें शांति कुमार आर. कांजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क [(1974) 2 एससीसी 387 : एआईआर 1974 एससी 1719] और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) 3 एससीसी 592 : एआईआर 1977 एससी 1361] ।)

11. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय [(2008) 5 एससीसी 217 : एआईआर 2008 एससी 1289] में, इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का विचार अपनाया गया था, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद, जो 1976 (1) एससीसी 671 में रिपोर्ट हुआ है, के वाद में यह धारित किया है कि एक अजनबी व्यक्ति जो व्यथित व्यक्ति नहीं है, वह उत्प्रेषण या परमादेश के लिए रिट पोषणीय नहीं कर सकता है। उपर्युक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

"50. जबकि एक प्रोक्रुस्टियन दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, नियम के रूप में, न्यायालय को "अजनबी" के कहने पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले न्याय की गंभीर विफलता से जुड़ी असाधारण परिस्थितियां न हों। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता एक "अजनबी" है, और कोई अनधिकार हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति (*busybody*) नहीं है, तब भी वर्तमान वाद में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जो उसके कहने पर उत्प्रेषण रिट जारी करने को उचित ठहरा सकें। इसके विपरीत, इन विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का परिणाम, उसके पक्ष में, कुल मिलाकर सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। यह इस व्यवसाय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा जो व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है; यह शहर में सिनेमा व्यवसाय के अपीलकर्ता के एकाधिकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखेगा; और इन सबसे ऊपर, यह वास्तव में प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 के मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाएगा, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत "विधि द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों" के अधीन व्यापार या व्यवसाय करने के लिए प्राप्त हैं।"

6. प्यारे लाल और अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी मैनपुरी और अन्य, जो 2005 ऑल एल. जे. 1956 में रिपोर्ट हुआ है, के वाद में पैरा-7 में यह धारित किया गया है कि :-

"व्यथित शब्द का शब्दकोश अर्थ 'हानि या क्षति सहना' है। ब्लैक'स लॉ डिक्शनरी के अनुसार व्यथित पक्ष/व्यक्ति वह है "जिसके विधिक अधिकार का उल्लंघन शिकायत किए गए कार्य द्वारा किया गया है, या जिसका आर्थिक हित किसी डिक्री या निर्णय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। व्यथित शब्द एक वास्तविक शिकायत, किसी व्यक्तिगत या संपत्ति के अधिकार के इनकार, या किसी पक्ष पर बोझ या दायित्व थोपने को संदर्भित करता है"। कॉर्पस ज्यूरिस सेकेंडम वॉल्यूम IV 356 (प्रथम संस्करण) के अनुसार किसी पक्ष या व्यक्ति को किसी निर्णय से व्यथित तभी कहा जा सकता है जब वह उसके व्यक्तिगत, आर्थिक या मालिकाना अधिकारों पर प्रत्यक्ष और हानिकारक रूप से प्रभावी हो।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मामले के इस दृष्टिकोण में, चूंकि याचिकाकर्ता "व्यथित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसकी ओर से दायर वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है।
8. वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।
9. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रत्यार्थी संख्या 7-महंत ऋषि राज गिरी पुत्र बाबा रतन गिरी, निवासी ग्राम-मजाहिदपुर, तहसील एवं जिला-संभल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संभल के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"